निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्रधानाचार्य,
पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,
बुरहानपुर म.प्र.

विषयः– मेडिकल स्टोर संचालन हेतु निविदा वर्ष 2025 प्रस्तुत करने बावत।

––00––

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी फर्म की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष / मो. नं.	
06	ई–मेल आई.डी.	
07	अमानत राशि जमा करने का विवरण	

प्रमाणित किया जाता हैं कि निविदा में दर्शित शर्तों के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालन हेतु निविदा 03 वर्ष के लिए कार्य करने की सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालय, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बुरहानपुर

(निविदा आमंत्रण सूचना)

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर में निर्मित दुकान (क्रमांक 01 एवं 02) को मासिक किराये पर देने हेतु व्यक्तिगत/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि से महाविद्यालय के नियम एवं शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की बेवसाईट www.gaacburhanpur.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की कीमत 1000/ रू. (डी.डी. के रूप में प्रधानाधार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बुरहानपुर के नाम देय होगा) भुगतान करना आवश्यक होगा अथवा निविदा प्रपत्र महाविद्यालय से कार्यालयीन समय में नगद 1000/– राशि जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि .... सायं 05:00 बजे तक।

।। निविदा की शर्ते ।।

01. निविदा सीलबंद लिफाफा जिस पर दुकान संचालन के लिये निविदा लिखा होना आवश्यक है।

02. निविदा दो लिफाफा पद्धति के अनुरूप होगी। निविदाकार को एक लिफाफे भाग 01 में निविदा प्रपत्र फार्म की राशि की रसीद/डीडी अमानत राशि की रसीद/डीडी, पेन नंबर, जी. एसटी. नं, अनुभव प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न, टर्नओवर प्रमाण पत्र, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, लाईसेंस (स्वयं का) इत्यादि तथा दूसरा लिफाफा भाग 02 में केवल वित्तीय प्रस्ताव देना होगा। दोनो लिफाफा भाग–1 एवं भाग–2 सील बंद कर एक बड़े लिफाफे में रख कर जमा करना होगा। नियत तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा पर ही विचार किया जायेगा।

03. निविदाकार का चयन सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा भाग–01 के अनुरूप होगा, तकनीकी प्रस्ताव में अनुर्तीण होने की दशा में संबंधित निविदाकार का वित्तीय लिफाफा भाग–02 नही खोला जाएगा। निविदाकार का चयन तकनीकी प्रस्ताव उर्तीण होने के बाद दुकान के किराये की राशि (H–1) के आधार पर किया जाएगा।

04. प्रत्येक निविदा के तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे के साथ अमानत की राशि 25,000/–(पच्चीस हजार) रू. एवं निविदा फार्म की राशि 1000/– रू. (एक हजार रू. मात्र) की रसीद / डिमांड ड्राफट (डी.डी.) द्वारा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर के पक्ष में जमा की जाना आवश्यक है। बिना अमानत राशि एवं निविदा फार्म राशि की डी.डी. प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

05. निविदा नियत तिथि .... को समय 05:00 बजे से पूर्व निविदा फार्म प्राप्त करना होगा। सफल निविदाकार की अमानत राशि को छोडकर शेष निविदाकारों की राशि निविदा स्वीकृत होने के एक माह के अंदर वापिस की जावेगी।

06. प्रथम सफल निविदाकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार न करने की स्थिति में सफल निविदाकार जो द्वितीय स्थान पर होगा, को निविदा समिति द्वारा कार्य करने का प्रस्ताव दिया जाऐगा।

07. सफल निविदाकार को 500/– रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक लिखित इकरारनामा देना होगा जिसका नमुना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस इकरारनामा के अंतर्गत सफल निविदाकार के असफल होने पर अन्य व्यवस्था करने पर हुये अतिरिक्त व्यय की वसूली निविदाकार की अमानत राशि से की जा सकेगी।

08. निविदादाता का विगत (03 वर्ष का टर्नओवर) 15 लाख या प्रत्येक वार्षिक टर्नओवर 05 लाख से कम नही होना चाहिए। विगत 03 वर्षों का टर्नओवर प्रमाणपत्र या विगत तीन वित्तीय वर्ष का का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।

09. निविदाकार को दुकान संचालन कार्य का किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्थानीय निकाय/प्राइवेट में कार्य करने का अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश संलग्न करना होगा।

10. अमानत राशि को पूर्ण या आशिंक रूप से निम्नलिखित मामलों में जप्त कर लिया जावेगा।

1– जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

2– जब निविदाकार सर्विस संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

3– अमानत राशि को जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया गया हो इस संबंध में महाविद्यालय बुरहानपुर का निर्णय अंतिम होगा।

11. निविदाकार के फर्म/संस्था के नाम जी.एस.टी. क्रं आवश्यक रूप से होना चाहिए। बिना जी.एस.टी. क्रमांक के दुकान प्रारंभ नही की जावेगी। जी.एस.टी. की प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

12. निविदा में आयकर का नंबर दर्शाया जाना आवश्यक है तथा उनकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 03 वर्ष तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगी एवं किराये की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

14. निविदा स्वीकार होने पर कार्यादेश के अनुसार कार्य न करने पर संबंधित संस्था/व्यक्ति पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी।

15. दुकान पूरी तरह अनुबंध की शर्तों पर संचालित होगी। दुकान किसी अन्य को हस्तांतरित नही की जावेगी और न ही उसका कोई भाग उप किरायेदारी आदि पर दे पायेगा।

16. निविदाकर्ता के द्वारा दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगर निगम बुरहानपुर से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा साथ ही संबंधित किसी भी सरकारी अथवा अन्य संस्था से लाइसेंस अथवा अनुमति लेने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान स्वयं करेगा।

17. दुकान हेतु विद्युत व्यवस्था के लिये म.प्र.रा.वि.मं. के नियमानुसार कमर्शियल मीटर/सबमीटर लगवाना अनिवार्य होगा तथा प्रचलित दर पर समस्त देयकों का भुगतान फर्म द्वारा किया जावेगा।

18. दुकान अधिपत्य के समय 03 माह का अग्रिम किराया जमा करना होगा तथा मासिक किराया प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा। (चेक/डीडी/नगद लेखाकक्ष में जमा करना होगा।) किराया समय सीमा में जमा न करने की स्थिति में नियमानुसार निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।

19. दुकान के संचालन के लिये मशीनों एवं अग्नि नियामकों के अनुसार अग्निशामक उपकरण स्थापित किया जायेंगा तथा इस रख रखाव के हुये व्यय का वहन भी निविदाकार का ही होगा।

20. दुकान संचालन समिति/प्रधानाचार्य या अन्य कोई वरिष्ठ किसी भी समय दुकान का निरीक्षण कर सकते है। किसी भी प्रकार की अनियमित्ता के लिए अनुबंधकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

21. निविदाकार/प्रधानाचार्य दोनो में से कोई भी पक्ष किसी भी समय एक माह पूर्व लिखित में सूचना देकर करार को रद्द कर सकता है।

22. नवनिर्मित दुकान भवन में पूर्व से उपलब्ध खिड़कियां, उनके कांच, ट्यूब लाईट, एल.ई.डी., पंखे सहित सभी समान का रख रखाव तथा कान्ट्रेक्ट खत्म होने पर चालू (Working) हालत में पूर्व दी गई अवस्था में वापिस करने होगे।

23. दुकान में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों अथवा भवन का दुरूपयोग नही होना चाहिए।

24. दुकान (मेडीकल स्टोर) के लिये निविदाकार का फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन/लाईसेंस स्वयं का होना अनिवार्य है। शास्त्रोक्त/पेन्टेन्ट आयुर्वेद औषधियों एवं अन्य सामग्री उच्चतम ख्याति प्राप्त फर्मो की रहेगी तथा गुणवत्ता उच्चकोटि की होनी चाहिये। दुकान 24 घंटे चालू रखने की सुविधा होना आवश्यक है। दवा दुकान हेतु 03 साल का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। शेष समस्त शर्ते यथावत रहेंगी।

25. निविदाकार यदि मरीजों को औषधी के अधिकतम विक्रय मूल्य में छूट देना चाहे तो निविदा में उल्लेखित कर सकते है।

26. दुकान का न्यूनतम किराया रू. (6,000/– प्रतिमाह है, इससे अधिक राशि का प्रस्ताव देने वाले निविदाकार (H–1) का चयन किया जायेगा।

27. किसी भी प्रकार के विवाद हेतु अंतिम निर्णय का अधिकार प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर को होगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र जिला बुरहानपुर होगा।

28. किसी भी निविदा मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा की शर्तो मे संसोधन या परिवर्तन का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर को होगा। जिसे निविदाकार को मान्य करना आवश्यक होगा। इसके लिये किसी को भी कोई कारण बताया जाना आवश्यक नही होगा।

29. निविदा प्रस्तुत करने पर माना जायेगा कि निविदाकार को सभी उपरोक्त शर्ते स्वीकार है।